

22.3.22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील कोई उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी व प्रार्थी वकील को -भामालय समय तक बार-बार आवाज लगावारी गई। फिर भी अनुपस्थित रहे। नाही शेष अप्रार्थीगणों की तालवी करारि गई।

आतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी अन्तर्गत आदेश 09 नियम 05 के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुनाा होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनले -भामालय में सुनाया गया।

47

उपसुब्ब आधिकारि
- साँभर लेक

